आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/1746 दिनांक– 11.01.2023

स्कूटी हेतु छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः खोलने बाबत

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (12वीं उत्तीर्ण) सभी वर्ग (उच्च शिक्षा विभाग), अनुसूचित जाति (SC) वर्ग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), अल्पसंख्यक वर्ग (अल्पसंख्यक मामलात् विभाग), अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उतीर्ण एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) अंतिम तिथि 15.03.2022, आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के लिए आवेदनों की अंतिम तिथि 15.07.2022 एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की (12वीं उत्तीर्ण) छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के लिए आवेदनों की अंतिम तिथि 31.08.2022 तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना की छात्राओं के लिए आवेदनों की अंतिम तिथि 15.03.2022 रखी गई थी।

छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण हेतु दिनांक–12.01.2023 से 31.01.2023 तक पोर्टल पुनः खोला जाता है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल पुनः प्रारम्भ की तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1.	**कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :–**			
	1. उच्च शिक्षा विभाग–12वीं उतीर्ण (सभी वर्ग की छात्राओं हेतु)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
	4. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
	7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अंर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2021–22	12.01.2023	31.01.2023
2	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2021–22	12.01.2023	31.01.2023

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित छात्रा /अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, परिपत्र क्रमांक–955 दिनांक–30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(डॉ. ललिता शर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx